Date - 29 April 2022

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144

- हाल ही में, उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन ने रुड़की शहर के पास दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की।

धारा 144

- यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- यह किसी भी घटना के उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में लगाया जाता है जिससे मानव जीवन में अशांति या संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है।
- यह आदेश किसी खास व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ पारित किया जा सकता है।

धारा 144 की विशेषताएं

- यह दिए गए अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार को रखने या ले जाने पर रोक लगाता है।
- ऐसे कृत्य के लिए अधिकतम सजा तीन साल है।
- इस धारा के तहत पारित आदेश के अनुसार जनता की आवाजाही नहीं होगी और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
- साथ ही इस आदेश के लागू होने की अवधि के दौरान किसी भी तरह की जनसभा या रैलियां करने पर भी पूरी तरह से रोक है.
- गैरकानूनी सभा को भंग करने में विफलता को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
- यह प्राधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोग को अवरुद्ध करने का अधिकार भी देता है।
- धारा 144 का अंतिम उद्देश्य उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है जहां दैनिक गतिविधियों में व्यवधान से परेशानी हो सकती है।

धारा 144 के आदेश की अवधि:

- इस धारा के तहत कोई भी आदेश दो महीने से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

YojnaIAS

- राज्य सरकार के विवेक पर, इसकी वैधता को अधिकतम छह महीने की वैधता के साथ दो और महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- स्थिति सामान्य होने पर धारा 144 को वापस लिया जा सकता है|

धारा **144** और कर्फ्यू के बीच अंतर:

- धारा 144 संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, जबकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को एक निश्चित अवधि के लिए घर के अंदर रहने का निर्देश दिया जाता है। कर्फ्यू के दौरान सरकार यातायात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है।
- कर्फ्यू के दौरान बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहते हैं, जबकि पूर्व सूचना पर केवल आवश्यक सेवाओं को खोलने की अनुमति है।

क्वार जलविद्युत परियोजना

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी है।

क्वार जलविद्युत परियोजना:

- यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में कम से कम चार आगामी परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जलविद्युत परियोजना शामिल है।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को साझा करते हैं जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं।
- इन पूर्वी नदियों में से तीन – सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों – चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।
- क्वार परियोजना चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- इस परियोजना से 90% निर्भरता के साथ 54 मिलियन यूनिट उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- परियोजना के निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

चिनाब नदी के बारे में:

- स्रोत: यह हिमाचल प्रदेश राज्य केलाहुल और स्पीतिज के ऊपरी हिमालय में उगता है।
- चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के तांडी (केलांग से 8 किमी दक्षिण पश्चिम) में चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम से बनती है।

Yojna IAS

- भगा नदी सूर्य ताल झील से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में बड़ा-लाचा ला दर्रे से कुछ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
- चंद्रा नदी उसी दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के हिमनदों से निकलती है।
- प्रवाह: यह सिंधु नदी में मिलने से पहले जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान के जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों से होकर बहती है।

चिनाब पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं/बांध:

- रतले जलविद्युत परियोजना
- सलाल बांध- रियासी के पास जलविद्युत परियोजना।
- दुलहस्ती जलविद्युत संयंत्र – किश्तवाड़ जिले में विद्युत परियोजना।
- पाकल दुल बांध (निर्माणाधीन) – किश्तवाड़ जिले में चिनाब की सहायक नदी मरुसादर पर।

मालचा महल का जीर्णोद्धार

- 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का दिल्ली सरकार द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा।

मालचा महल के बारे में:

- इसे तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1325 ई. में बनवाया था और लंबे समय तक इसे शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
- बाद में यह अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया।
- ऐसा माना जाता है कि अवध की बेगम विलायत महल के बाद इसे 'विलयत महल' कहा जाने लगा, जिसने दावा किया कि वह अवध के शाही परिवार की सदस्य थी। उन्हें वर्ष 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व प्रदान किया गया था।
- 1993 में बेगम के आत्महत्या करने के बाद, मालचा महल उनकी बेटी सकीना महल और बेटे राजकुमार अली रज़ा (साइरस) के स्वामित्व में आ गई। राजकुमार की मृत्यु वर्ष 2017 में हुई थी और उनकी बहन का निधन उनकी मृत्यु से कुछ साल पहले हो गया था।

फिरोज शाह तुगलक:

- इसका जन्म 1309 ई. में हुआ था और अपने चचेरे भाई मुहम्मद-बिन-तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
- यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1320 ई. से 1412 ई. तक दिल्ली पर शासन किया। मुहम्मद-बिन-तुगलक 1351 ई. से 1388 ई. तक सत्ता में रहा।

Yojna IAS

- उन्होंने ही जजिया कर लगाना शुरू किया था।
- 'जजिया' या 'जजिया' का अर्थ राज्य के सार्वजनिक व्यय के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए इस्लामी कानून द्वारा शासित राज्य के स्थायी गैर-मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति वार्षिक कराधान है।
- इसने सशस्त्र बलों में उत्तराधिकार के सिद्धांत को पेश किया जहां अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों को सेना में भेजने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उन्हें वास्तविक पैसे के बजाय जमीन के रूप में भुगतान किया गया था।
- अंग्रेजों ने उन्हें 'सिंचाई विभाग के पिता' के रूप में संबोधित किया था क्योंकि उन्होंने कई बागों और नहरों का निर्माण किया था।

तुगलक वंश:

- तुगलक वंश तुर्क मूल के एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। मुहम्मद-बिन-तुगलक के नेतृत्व में सैन्य अभियान के परिणामस्वरूप राजवंश अपने चरमोत्कर्ष "1330-1335 ईस्वी के बीच" पर पहुंच गया।
- इसका शासन यातना, क्रूरता और विद्रोहों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1335 ई. के बाद राजवंश की क्षेत्रीय पहुंच का तेजी से विघटन हुआ।
- तुगलक वंश में तीन महत्वपूर्ण शासक थे – गयासुद्दीन तुगलक (1320-1325 ईस्वी), मुहम्मद-बिन-तुगलक (1325-1351 ईस्वी) और फिरोज शाह तुगलक (1351 से 1388 ईस्वी) ।
- गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक था।

Swadeep Kumar

Yojna IAS